हो जाती है, उनको चेक करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, जैसे high altitude क्षेत्रों में तैनाती से पहले सैनिकों का विस्तृत रूप से मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, वहां पहुंचने के पहले उनका बराबर acclimatization किया जाता है। ऐसे कई स्टेप्स हैं, मैं समझता हूं कि बहुत डिटेल में जाकर यह जानकारी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए precautions लिए जाते हैं।

नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

*156. **श्री राम नाथ ठाकुर**: क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल की आपूर्ति करके देश के सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान कराये जाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है;

(ग) क्या इस व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जहां पर भू-जल खतरनाक रसायनों से संदूषित हो चुका है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि पृथक रूप से निर्धारित की गई है?

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) जैसा कि संघ बजट भाषण 2019-20 में घोषणा की गई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल (नल जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत यह कार्यक्रम वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और कृषि में पुन: उपयोग किए जाने हेतु घरेलु अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व के लिए स्थानीय आधारभूत अवसंरचना के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करेगा। जल जीवन मिशन देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी स्कीमों के साथ तालमेल करेगा। इस मिशन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10000.66 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

Supply of piped clean potable water

†*156. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether Government plans to provide clean potable water to all persons of the country in each household through piped supply;

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, whether Government has fixed a time-bound programme for the same;

(c) whether priority will be given to those areas where ground water is contaminated by dangerous chemicals while implementing this comprehensive and ambitious scheme; and

(d) the amount required to implement this plan and the amount earmarked under this head during current financial year?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A Statement of reply is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) As announced in the Union Budget Speech 2019-20, it has been envisaged to ensure Har Ghar Jal (piped water supply) to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission. This Programme, under the Department of Drinking Water and Sanitation, will focus on integrated demand and supply side management of water at the local level, including creation of local infrastructure for source sustainability like rainwater harvesting, groundwater recharge and management of household wastewater for reuse in agriculture. The Jal Jeevan Mission will converge with other Central and State Government Schemes to achieve its objectives of sustainable water supply management across the country. An amount of ₹ 10000.66 crore has been allocated in the current financial year 2019-20 for the Mission.

श्री राम नाथ ठाकुर: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाइप की गुणवत्ता की कैसे जांच की जाएगी और इसकी पद्धति क्या है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, चूंकि जल और जल का प्रबंधन राज्यों का विषय है, इसलिए स्कीम्स के implementation की जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर है। राज्य अपने हिसाब से अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से गुणवत्ता निर्धारण के मानक तय कर सकते हैं।

श्री राम नाथ ठाकुर: सर, इसकी गहराई कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: आप पाइप की गइराई जानना चाहते हैं या ट्यूबवेल की?

श्री राम नाथ ठाकुर: ट्यूबवेल की गहराई जानना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सर, मुझे लगता है कि मुझे इस प्रश्न का भी वही उत्तर देना पड़ेगा। स्कीम का निर्धारण, स्कीम को बनाना, स्कीम किस तरह substantial होगी, ये सब राज्य सरकारों के विषय हैं। राज्य सरकार अपने-अपने यहां से उपयुक्त स्कीम बनाकर भेजेगी और हम उनको उसके अनुरूप assistance provide करेंगे।

श्री अमर शंकर साबले: मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भू-जल को खतरनाक रसायनों से संदूषित करने वाले कितने उद्योगों को कानून की धारा के तहत दंडित किया गया है और उसका conviction ratio क्या है?

MR. CHAIRMAN: The question is regarding piped water supply, लेकिन आप पॉल्यूशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: चेयरमैन सर ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ऑन है, माइक ऑन है। ...**(व्यवधान)**...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: चेयरमैन सर, मैं आपके जरिए माननीय मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और drinking water के sources बहुत तेजी से घट रहे हैं। आपने जो मिशन घर-घर जल पहुंचाने के लिए बनाया है, उसमें 100 साल की प्लानिंग करके कहीं से ऐसे sources पैदा किए जाएं, ताकि बढ़ती हुई आबादी में भी घर-घर पानी पहुंचाया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि उसके implementation के लिए आप क्या ठोस प्रबंध कर रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यंत ही relevant question पूछा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हर घर पानी पहुंचाने का जो मिशन सरकार ने लिया है, उस मिशन में हम जिस योजना का निर्माण कर रहे हैं, उसे सन् 2050 तक के लक्ष्य को एक बार संज्ञान में लेते हुए कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी और देश की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में जो कुल पानी available है, precipitation के कारण जो पानी देश में बरसता है और जितना पानी हम स्टोर करते हैं, जो यूज़ेबल स्टोरेज है, उसका केवल पांच-छ: प्रतिशत हिस्सा ही पेयजल के उपयोग में आता है। शेष हिस्सा कृषि के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता का विषय यह है कि हम कृषि के क्षेत्र में इस चुनौती को कम करके किस तरह से irrigation के वॉटर को कम कर सकते हैं, ताकि हम लंबे समय तक इसे sustainable बनाए रखें।

SHRI P. BHATTACHARYA: Mr. Chairman, Sir, it is very unfortunate that in most of the States we are having arsenic-laden water. Though the Government has promised many times that arsenic-free water will be supplied through pipeline to both, the rural as well as the urban people, yet it has unfortunately not been done till date. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, my question is this. How many days would it take to make available arsenic-free water to our people?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न की जानकारी देना चाहता हूं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि यह कितने दिनों में होगा, इस बारे में मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर देश में ऐसे 27,544 habitations identify किए

गए थे, जहाँ water quaity issues हैं। उनमें से 11,212 habitations को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। अभी लगभग 4,071 habitations शेष बचे हैं और 5,571 habitations पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों को assistance provide की गई है।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप नल के द्वारा पेयजल की आपूर्ति पहले पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में करने की कृपा करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, हमने जिस तरह से Âस्वच्छ भारत मिशनÊको चैलेंज मोड पर लिया था, ठीक उसी तरह से सारे प्रदेशों को एक साथ चैलेंज मोड पर पेयजल पहुंचाने की दिशा में योजना बनाई है। प्रत्येक प्रदेश में, जो ज्यादा perform करेगा, उसे हम ज्यादा पैसा देंगे। यह निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र के प्रदेशों की आवश्यकता है। यदि वे अपनी तरह से तेजी से काम करेंगे, तो वहाँ अधिक तेजी से परिणाम भी प्राप्त होंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.157, Shri Ritabrata Banerjee. The hon. Member is absent. Are there any supplementaries?

*157. [The Questioner was absent.]

Amendments in environmental laws

*157. SHRI RITABRATA BANERJEE: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has made amendments in the Indian Forest Act (IFA) 1927, the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and the new National Forest Policy and if so, details thereof;

(b) whether Government is aware that such amendments have diluted the original laws against tribals and the environment and if so, details thereof; and

(c) the ways in which Government will ensure that the environment and tribal rights will be protected?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Indian Forest Act (IFA), 1927 was amended in the years 1930, 1933, 2005 and 2017. The recent amendment in Indian Forest Act *viz*. the Indian Forest (Amendment) Act, 2017 was notified on 08.01.2018. With this recent amendment ,,bamboos‰ has been omitted from the definition of ,,tree‰.